

प्रेस नोट दिनांक 28.10.2020

1. दिनांक 27.10.20 को वादी उ0नि0 श्री मुनिमन रंजन दूबे थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुग्रीव निषाद पुत्र हजारी निषाद नि0 गुप्तारघाट थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 508/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 27.10.20 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सिकन्दर पुत्र संतलाल यादव नि0 धरमू का पुरवा मांझा बरेहटा थाना को0अयोध्या आदि 03 नफर सभी गिर0 अभि0गण द्वारा अवैध रूप से बालू खनन करना व पकड़े जाना, मौके से बालू लदा ट्रैक्टर ट्राली, जेसीबी, 07 अदद मोटर साइकिल व 02 अदद मोबाइल फोन बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 772/20 धारा 379, 411 भादवि व 4/21 खान व खनिज अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 27.10.20 को वादी श्री आनन्द गोपाल सिंह पुत्र द्वारिका सिंह नि0 रामपुर पुआरी थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 32 एलजे 2268 मो0सा0 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे वादी का पैर टूट जाना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 773/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 27.10.20 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 आलम पुत्र मो0 अकरम नि0 सूरा कोठी सहजादपुर चौक थाना अकबरपुर अम्बेडकरनगर आदि 03 नफर दो अभि0 गिर0 अभि0गण द्वारा 08 अदद गायों को बध हेतु ले जाते समय पकड़े जाना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 478/20 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 27.10.20 को वादी उ0नि0 श्री वेद प्रकाश गुप्ता थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सचिन सिंह पुत्र रमेश सिंह नि0 खिरौनी थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 510/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 27.10.20 को वादी श्री अखिलेश कुमार वर्मा पुत्र राम आसरे वर्मा नि0 ए 12/23 सुलभ आवास गोमती नगर लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के साढ़ू को टक्कर मार देना जिसकी मौके पर मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 211/20 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।